

दिनांक 22 जून, 2017 को अपरान्ह 03:30 बजे से मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन (F.I.E.O.) तथा कण्ट्रोल यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में “लेदर, टेक्सटाइल्स, एगो प्रोडक्ट्स, मिनरल्स तथा मरीन उत्पाद के लिए यूरोप और यू.एस.ए. में निर्यात की प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं और सामाजिक अनुपालन (Certification requirements and social compliances for Leather, Textiles, Agro commodities, Marine Products and Minerals for Europe & USA)” विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।

मर्चेट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी ने कण्ट्रोल यूनियन से आमंत्रित मुख्य वक्ता श्री प्रीतम प्रधान एवं श्री किशोर पटवारी, श्री डी.टी. पराटे, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, श्री अलोक श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर- F.I.E.O., आमंत्रित सहभागीजन तथा मीडिया कर्मियों का स्वागत किया। श्री लाहोटी ने बताया कि कण्ट्रोल यूनियन उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर अपनी गतिविधियाँ संचालित करता है। श्री लाहोटी ने कण्ट्रोल यूनियन के वक्ताओं से यह अनुरोध किया कि वह किसानों के द्वारा उगाये गए उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में उपाय बताये।

श्री डी.टी. पराटे, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, ने विदेश व्यापार निति से सम्बंधित प्राव्हदनाओं पर प्रकाश डाला एवं सूचित किया कि कानपुर में विदेश व्यापार विभाग का कार्यलय काकादेव में है जो प्रत्येक व्यापारी को आयात-निर्यात से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध है। श्री पराटे ने बताया कि विदेश व्यापार विभाग की वेबसाइट का लिंक www.dgft.gov.in है तथा कानपुर के व्यापारियों लिए वेबसाइट का लिंक www.kanpur.dgft.in है। उन्होंने सूचित किया पूर्व में I.E.C. कोड 10 अंकों का होता था, जो कि जी.एस.टी. कानून के क्रियान्वन के दिन (1 जुलाई 2017) से 15 अंकों का हो जाएगा, जिसमें शुरुआत के 2 अंक राज्य को, 10 अंक आई.ई.सी. संख्या तथा अंतिम 3 अंक पैन कार्ड से लिए जायेंगे।

मुख्य वक्ता श्री प्रीतम प्रधान, प्रतिनिधि, कण्ट्रोल यूनियन, ने कण्ट्रोल यूनियन संस्था की कार्य-शैली एवं संस्था द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों के बारे में जानकारी देते हुए पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति दिया तथा संस्था से उद्योगों को होने वाले लाभों पर एक विडियो प्रदर्शित किया। श्री प्रधान ने बताया कि कण्ट्रोल यूनियन नीदरलैंड की संस्था है एवं इसके कार्यलय 70 देशों में कार्यरत है। कण्ट्रोल यूनियन के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित संस्था से मान्यता प्राप्त है :

- नेशनल एक्रीडीएशन बॉडीज एवं श्री लंका SLAB के साथ
- इंडस्ट्री एक्रीडीएशन आर्गेनाइजेशन, जैसे ASI
- गवर्नमेंट एक्रीडीएशन, जैसे यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (U.S.D.A.)

कंट्रोल यूनियन के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लगभग सभी बड़े बजारों एवं उद्योगों में मान्य है। संस्था के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मानक उपयोग में लाने से लागत में कमी, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि, एवं उत्पाद में वैल्यू-एडिशन होता है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल यूनियन की प्रमाणिकता उद्योगों (जैसे: खाद्य, जैव ऊर्जा और वस्त्र बाजारों एवं अन्य उद्योगों) की सप्लाई चेन की सेवाओं को विकसित करने एवं उसकी निरंतर विकास पर केन्द्रित है।

श्री किशोर पटवारी, प्रतिनिधि, कंट्रोल यूनियन, ने, कंट्रोल यूनियन संस्था के द्वारा जैविक (Organic) खेती से सम्बंधित प्रमाण-पत्रों के बारे में विस्तृत पूर्वक बताते हुए पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक देश में जैविक खेती का मानक अलग-अलग है। श्री पटवारी ने सूचित किया कि किसी देश में, अपने देश के किसानों द्वारा जैविक खेती प्रक्रिया से तैयार किये गए उत्पादों को निर्यात करने के लिए उस देश की प्रमाणिकता की आवश्यकता होती है, इसमें (कंट्रोल यूनियन संस्था) उस देश की आवश्यक प्रमाणिकता को निर्यातक किसानों से साझा करती है। उन्होंने जैविक खेती से सम्बंधित उत्पादों तथा अन्य कमोडिटीज के प्रमाणिकता के बारे में जानकारी दिया।

कंट्रोल यूनियन के प्रतिनिधियों ने जैविक खेती से उपजे उत्पादों की प्रामाणिकता से सम्बंधित प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया।

सत्र का संचालन श्री अलोक श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर, F.I.E.O., ने किया एवं धन्यवाद-प्रस्ताव भी श्री अलोक श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य :

उक्त सत्र में श्री धीरेन्द्र अग्रवाल, श्री वेद अग्रवाल, श्री एस.एस. चौहान, श्री नवीन गुप्ता, कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति, मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व F.I.E.O. के सदस्यगण, व्यापारीगण तथा कानपुर के अन्य व्यापारिक संस्था के सदस्य उपस्थित थे।

सधन्यवाद

मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश

